

15/3/24

व. का. इका. / बहक 325 प. पु. का. 219
 के अधिकांश की वृत्ति
 वाले प्राची विवाहा वृत्ति के
 रिपोर्ट स्वतंत्र कारतकार है
 नियमानुसार प्रत्येक स्वतंत्र
 कारतकार को अपनी वृत्ति
 की सुरक्षा हेतु फिलिपिन्स
 को पारने करके को अधिकांश
 प्राप्त है प्राची विवाहा वृत्ति
 का रिपोर्ट स्वतंत्र कारतकार
 होने से विवाहा वृत्ति के प्राची
 के अपूर्ण है कि हा है
 इका प्रकार प्रकार दृश्य है
 सुविधा का से तुलना अपूर्ण है



फर्द अहकाम

वादागोष्ठ बनाम अनकोष्ठ

नाम न्यायालय

केस संख्या 39/2020

प्रा.पत्र न्यवहार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>द्वारा का खेचडाणा प्राचीन को एक नए बखुबी बनाया है। अतः प्राचीन का प्राचीन को अकथनी विशेषण का अर्थ किया जाकर अकथनी को को आ. सं. नं. 2044/520, 2026/520, 2024/520, 2043/520 क्रि. सं. 5 का क्रम अंक 0-83 वाले आ. सं. को विरुद्ध तहसील को निर्माण नहीं करे व किसी विधि से नू. आ. सं. का अर्थ नहीं करे बल्कि इस अर्थ को पूर्व अर्थ दिनांक 28/7/2020 को आ. सं. के प्रा. पत्र-अवधि द्वारा 136 LRA का अर्थ किया जाकर पावत किया जाते व पत्रावधि के अर्थ को होकर ही नंबर को फर्द को तथा दस्तावेजों के अर्थ को नू. सं. को साथ संलग्न</p>

उपस्थित अधिकारी
 वी. जय